IJARASEM

ISSN: 2395-7852

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management

Volume 11, Issue 3, May-June 2024

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

निस्केयर NISCAIR

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 7.583 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 11, Issue 3, May-June 2024 |

भारत के विभिन्न राज्यों में किन्नर अधिकारों के लिए सरकारी नीतियां और कार्यक्रम

प्रिया यादव (Priya Yadav)

M.A. Hindi

Kmpriyaskb1997@gmail.com

I. परिचय

भारत, एक विविधताओं से भरपूर और ऐतिहासिक धरोहर से युक्त, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अनूठी भूगोल, और विविध भाषाओं और जातियों का सम्मिलन भारत को एक अद्वितीय देश बनाता है। इसका इतिहास विभिन्न सम्राटों, संस्कृति और धर्मों के संग्रह से भरा हुआ है। आधुनिक भारत एक विकासशील और प्रगतिशील राष्ट्र है, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, और सामाजिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय समाज की गहरी रूपरेखा में समाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक परिवर्तन देश को नई ऊँचाइयों की ओर अग्रसर कर रहे हैं। इस विकास के प्रक्रिया में भारत के संविधान ने समानता, स्वतंत्रता, और न्याय के मूल्यों की रक्षा करते हुए सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करने का संकल्प लिया है। भारत में किन्नर समुदाय के अधिकारों की संरक्षा और समर्थन के लिए सरकार ने कई पहलूओं को ध्यान में रखा है। विभिन्न राज्यों में ट्रांसजेंडर्स राइट्स यूनियन और किन्नर विकास कार्यक्रम जैसे कई संगठन और योजनाएं हैं जो इस समुदाय के सदस्यों की मदद करते हैं। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि किन्नर समुदाय के लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। साथ ही, जागरूकता और समझदारी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि समाज में इस समुदाय के सदस्यों के प्रति सम्मान और समानता की भावना बढ़े। इस प्रकार, सरकार के नेतृत्व में भारत में किन्नर समुदाय के अधिकारों की रक्षा और समर्थन के लिए विभिन्न पहलूओं का संचालन किया जा रहा है।

1.1 भारत में किन्नर समुदाय के अधिकारों की महत्वपूर्णता

भारत में किन्नर समुदाय के अधिकारों की महत्वपूर्णता भारतीय समाज की सामाजिक और नैतिक परंपराओं के साथ-साथ संविधानिक मूल्यों के समान अधिकारों के प्रति समर्थन का परिचायक है। यह समुदाय सामाजिक रूप से पिछड़ा, अलगाववाद, और उत्पीड़न का शिकार रहता आया है। उन्हें समाज में समानता और सम्मान का अधिकार है, जो समृद्ध समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण है। किन्नर समुदाय के सदस्यों को समर्थन और संरक्षण के लिए समाज, सरकार, और गैर-सरकारी संगठनों की एक्टिव भूमिका की आवश्यकता है। उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, और सामाजिक सहायता के संबंध में उचित सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। किन्नर समुदाय के सदस्यों को समाज में गर्व से स्वीकार किया जाना चाहिए, और उन्हें सामाजिक संरक्षण और अधिकारों का लाभ मिलना चाहिए। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि वे समाज में स्थान बना सकें और अपने पूरे पोटेंशियल को विकसित कर सकें। समाज में जागरूकता और शिक्षितता के माध्यम से किन्नर समुदाय के अधिकारों को समर्थन करना और प्रोत्साहित करना आवश्यक है। सामाजिक जागरूकता के उत्थान के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के द्वारा संचालित जागरूकता कार्यक्रम और यात्राएं आयोजित करने की आवश्यकता है। समाज में समानता और समरसता का अभिवादन करते हुए, हमें किन्नर समुदाय के सदस्यों के अधिकारों की समर्थन करना और उन्हें समाज में अपना सही स्थान दिलाना चाहिए। इससे हमारा समाज और देश गुणवत्ता के मानकों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति कर सकता है।

1.2 सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का महत्व

सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का महत्व किन्नर समुदाय के अधिकारों को समर्थन और संरक्षण करने में बहुत बड़ा है। ये नीतियां और कार्यक्रम समाज में जागरूकता, समर्थन, और सामर्थ्य का संचार करते हैं। यहां कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिनसे सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का महत्व प्रकट होता है:

- समाज में संजागरता का प्रोत्साहन: सरकारी नीतियां और कार्यक्रम जनता में किन्नर समुदाय के अधिकारों और महत्व की जागरूकता फैलाते हैं। इससे समाज में समझौता और समरसता की भावना उत्पन्न होती है।
- समर्थन और संरक्षण का आदर्श प्रदान: सरकारी नीतियां और कार्यक्रम किन्नर समुदाय के सदस्यों को सामाजिक, आर्थिक, और मानसिक समर्थन प्रदान करते हैं। इससे उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने और अपनी ज़िंदगी को स्वतंत्रता से जीने का साहस मिलता है।

- अनुसंधान और विकास का समर्थन: सरकारी नीतियां और कार्यक्रम अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करते हैं जो किन्नर समुदाय के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, और रोजगार के अवसर
- सामाजिक समानता की दिशा में कदम: सरकारी नीतियां और कार्यक्रम समाज में सामाजिक समानता और समरसता की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इनके माध्यम से, समाज में विभिन्न समुदायों के बीच समानता और सहानुभूति का वातावरण बनाया जाता है।

सार्वजनिक नीतियां और कार्यक्रम किन्नर समुदाय के सदस्यों को समाज में समानता, समर्थन, और समरसता की भावना प्रदान करती हैं, जिससे समृद्ध समाज का निर्माण होता है।

1.3 विभिन्न राज्यों में प्रचलित किन्नर कल्याणकारी योजनाओं का वर्णन

भारत में कई राज्यों ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं जो उनकी समाज में समानता, सामाजिक सुरक्षा, और आर्थिक सहायता को बढ़ावा देती हैं। यहां कुछ राज्यों की प्रमुख योजनाओं का उल्लेख है:

- महाराष्ट्र - महिला और बाल विकास विभाग:
  महाराष्ट्र सरकार ने "महिला और बाल विकास विभाग" के तहत "महाराष्ट्र ट्रांसजेंडर विकास योजना" शुरू की है। इस योजना के तहत, ट्रांसजेंडर समुदाय को शिक्षा, आर्थिक सहायता, रोजगार के अवसर, और मेडिकल सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, उन्हें समाज में समानता और सम्मान के साथ जीने का मौका दिया जाता है।

- तमिलनाडु - सोलार पैनल योजना:
  तमिलनाडु सरकार ने "सोलार पैनल योजना" के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आर्थिक समर्थन प्रदान करने का एक योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत, उन्हें सोलार पैनल सेटअप करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और वे आत्मनिर्भरता के साथ अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।

- केरल - जीवन योजना:
  केरल सरकार ने "जीवन योजना" की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज में समानता, स्वास्थ्य सेवाएं, और आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, उन्हें निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं और उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त करने का मौका मिलता है।

- उत्तर प्रदेश - कल्याणकारी योजनाएं:
  उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें "उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर कल्याण योजना" और "समृद्धि योजना" शामिल हैं, जो उन्हें आर्थिक सहायता, शिक्षा, और रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं।

ये कुछ उदाहरण हैं जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा शुरू की गई हैं। यह योजनाएं सामाजिक समानता, समृद्धि, और सहज सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्व

II. साहित्य की समीक्षा

छाछर, वरुण, और निहारिका कुमार। (2024)। "ट्रांसजेंडर समुदाय को दुनिया के लगभग हर हिस्से में भेदभाव का सामना करना पड़ा है और जारी है। हिंसा के साथ इस तरह के विभेदक उपचार की शुरुआत, सीमा और अवधि दुनिया भर में भिन्न हो सकती है। इसके पीछे का कारण सांस्कृतिक और संवैधानिक मूल्य हो सकते हैं संबंधित समाज में ट्रांसजेंडरों की पारंपरिक स्थिति के साथ-साथ एलजीबीटी समुदाय के आंदोलन को उनकी उपस्थिति का दावा करने और उनकी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए अर्जेंटीना को समावेशी नीतियों की प्रगति में अग्रणी के रूप में पहचाना जा सकता है। विशेष रूप से 2012 में इसके लिंग पहचान कानून के पारित होने के साथ, इसे किसी भी पूर्व शर्त को लागू किए बिना औपचारिक रूप से किसी व्यक्ति की लिंग पहचान को स्वीकार करने वाले उद्घाटन राष्ट्र के रूप में चिह्नित किया गया, यह लेख अर्जेंटीना में एलजीबीटी आंदोलन के ऐतिहासिक प्रक्षेपवक्र का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करता है देश में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्थापित संवैधानिक और विधायी ढांचे की एक परीक्षा। इसके बाद, यह लिंग पहचान कानून के अधिनियमन और उल्लेखनीय विशेषताओं पर प्रकाश डालता है। यह अर्जेंटीना की तुलना में भारत में ट्रांसजेंडर कानून का तुलनात्मक विश्लेषण भी प्रदान करता है और भारत के विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाए गए विरोधाभासी दृष्टिकोण की आलोचना करता है। यह इस निष्कर्ष के साथ समाप्त होता है कि अर्जेंटीना का लिंग पहचान कानून काफी प्रगतिशील है जिससे भारत जैसे देश प्रेरणा ले सकते हैं।

मिश्रा एट अल., (2023)। ट्रांसजेंडर लोग दुनिया भर में लैंगिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को शर्मसार किया था, उनके निकटतम परिवार ने उन्हें छोड़ दिया था। वे अपने समुदाय के अन्य लोगों के बीच रहने को मजबूर हैं। वे जहां रहते हैं उसके आधार पर उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिनमें अरवानी, शिवशक्ति, कोठी, हिजड़ा और जोगप्पा शामिल हैं,1 लेकिन "किन्नर" या "हिजड़ा" भारत में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। हिजड़े एक अलग जीवनशैली जीते हैं; वे आम तौर पर साड़ी और रंगीन, जीवंत सौंदर्य प्रसाधन पहनकर महिलाओं की तरह कपड़े पहनते हैं। आम तौर पर सार्वजनिक स्थानों पर दर्शकों से दान के लिए जयकार करते और विनती करते देखा जाता है। वे कैसे दिखते हैं, इसके आधार पर लोग या तो उन्हें रुचि या शत्रुता से देखते हैं। लोग उनके बारे में फब्तियां कसते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। इसके अतिरिक्त, चूँकि उन्हें कमज़ोर और अकेले देखा जाता है, इसलिए वे अक्सर हमलों और धमकाने का निशाना बनते हैं। ये लोग अकेले रह गए हैं और अपने परिवार और सामाजिक नेटवर्क को खोने के बाद अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में अनिश्चित हैं। इस वजह से वे अन्य ट्रांसजेंडर समूहों के बीच शरण लेते हैं।

भट्टाचार्य एट अल., (2022) भारत के ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम में संशोधन गैर-बाइनरी व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों, उनकी लिंग पहचान की मान्यता और संस्थागत स्थानों पर गैर-भेदभाव कानूनों को संबोधित करते हैं (उदाहरण के लिए, परिवार, कार्यस्थल, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल)। अधिनियम व्यावहारिकता, संरचनात्मक समर्थन के अलावा कानूनी अधिकारों पर चर्चा करता है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकारों तक वास्तविक पहुंच के लिए आवश्यक दिशानिर्देशों का अभाव है। इस तरह का वियोग मानवाधिकारों को सीमित अभ्यास के साथ केवल कानूनी परिवर्तनों तक सीमित कर देता है। इस लेख में, हम भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के परिप्रेक्ष्य से अधिनियम की उपलब्धियों और विफलताओं पर चर्चा करते हैं, और 2014 में इसके निर्माण से उनके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ा है। हालांकि गैर-बाइनरी समुदायों को मान्यता दी गई है, लेकिन उन्हें गंभीर दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है और भेदभाव. हम पूर्वी भारत के महानगर कोलकाता में 15 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जीवन के अनुभवों और अपने अधिकारों का दावा करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करते हैं। हमने परिवार, कार्य, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में अपने निष्कर्षों पर गंभीर रूप से चर्चा करने के लिए अधिकारों तक वास्तविक पहुंच के ढांचे का उपयोग किया, यानी, दस्तावेजी अधिकारों का अभ्यास करने और उन तक पहुंचने की वास्तविक क्षमता, जो अक्सर प्राप्त कानूनी स्थिति और के बीच अंतर दिखाती है। ज़मीनी व्यावहारिक हकीकत. हम इन अंतरालों को पाटने के लिए कई सिफारिशें प्रदान करते हैं - गैर-बाइनरी लोगों के लिए शैक्षिक समानता में सुधार, जिसमें स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए ट्रांसजेंडर विशिष्ट प्रशिक्षण और, अधिक महत्वपूर्ण बात, बातचीत की स्थिति में गैर-बाइनरी लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व बढ़ाना शामिल है। गैर-द्विआधारी लिंग समुदायों के लिए कानूनी अधिकारों के बाद सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का दावा करने का मार्ग परिवारों के भीतर उनके उन्मूलन और सार्वजनिक स्थानों पर अतिसंवेदनशीलता पर काबू पाने के बिना हासिल नहीं किया जा सकता है।

सुनार, अभिषेक (2021) आज के परिदृश्य में ट्रांसजेंडरों को भारत के समाज में प्रचलित विषमलैंगिकता के लिंग और यौन मानदंडों के अनुरूप न होने के कारण सामाजिक कलंक और कानूनी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। वे अपनी पहचान धर्म और पौराणिक कथाओं के माध्यम से पहचानते हैं, जिसके तहत वे बधियाकरण और नपुंसकीकरण की रस्मों से गुजरते हैं, जिसके आधार पर वे समारोहों और त्योहारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहले, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के सोडोमी विरोधी कानून और आधिकारिक सरकारी दस्तावेज़ में ट्रांसजेंडर के लिए लिंग श्रेणी की कमी जैसे कानूनी ढांचे के परिणामस्वरूप इन समुदायों के साथ भेदभाव और हाशिए पर डाल दिया गया था। ये समुदाय पुलिस, चिकित्सा प्रतिष्ठान और अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़न और हिंसा के अधीन हैं, और वे रोजगार और स्वास्थ्य देखभाल जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक सेवाओं से प्रणालीगत बहिष्कार का अनुभव करते हैं। भारत में कानूनी सुधार, जैसे कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय को 'तीसरे लिंग' के रूप में मान्यता देना और 2018 में सोडोमी को अपराध से मुक्त करना, ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम रहे हैं। हालाँकि, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिभाषा में विसंगतियाँ और आत्म-पहचान प्रक्रिया के संचालन में अस्पष्टता प्रभावी नीति कार्यान्वयन के लिए चुनौती बनी हुई है। 2019 के ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम के तहत, किसी के ट्रांसजेंडर चरित्र को कानूनी रूप से स्वीकार करने के अनुरोध में, वर्तमान अधिनियम व्यक्तियों के लिए 'ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र' के लिए दावा करना अनिवार्य बनाता है, जो उनके लिंग को ट्रांसजेंडर के रूप में वर्गीकृत करेगा। संलग्न नियमों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी संशोधित प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है। नियम न केवल गिरावट और घुसपैठ की निगरानी को बढ़ाते हैं, बल्कि एनएएलएसए के फैसले के तहत स्वीकार किए गए 'आत्म-मान्यता' के अधिकार के भी प्रतिकूल हैं। मेरे पेपर का उद्देश्य ट्रांसजेंडर के मुद्दों पर उनके सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार और समाज में समावेशन की समस्याओं और विकास प्रक्रिया और मुख्यधारा समाज की धारणाओं को परिभाषित करने पर अपने विचार व्यक्त करना है। इसके अलावा, लैंगिक समानता के अधिकार और आत्म-गरिमा के महत्व के साथ-साथ संविधान के भाग-III के तहत मान्यता प्राप्त समान संवैधानिक स्थिति की व्याख्या करें। इस पेपर का अंतिम लक्ष्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मुख्यधारा समाज में समग्र विकास और सामाजिक एकीकरण के बारे में सुझाव और संभावित अंतर्दृष्टि प्रदान करना है।

जैन, दीपिका, और देबानुज दासगुप्ता (2021) दक्षिण एशिया विविध लिंग पहचानों से भरा हुआ है जो धर्म, भाषा और सांस्कृतिक प्रथाओं के आधार पर क्षेत्रीय रूप से भिन्न होती हैं। ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ताओं ने अदालतों से विविध लिंग पहचानों

की कानूनी मान्यता प्राप्त करने के लिए मानवाधिकार संबंधी बयानबाज़ी को सफलतापूर्वक लागू किया है। हालाँकि, सरकारों और न्यायपालिकाओं द्वारा ट्रांसजेंडर छत्र के तहत इन विविध पहचानों और प्रथाओं को एक ही श्रेणी में ढहाने से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की कानूनी मान्यता के लिए जटिल तंत्र तैयार हो गया है। इसके साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर जीत हासिल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सिद्धांतों को लागू किया जा रहा है, जो बदले में कानून, सक्रियता और मानवाधिकारों के बीच गतिशील परस्पर क्रिया में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस लेख में, हम पूरे दक्षिण एशिया में विविध लिंग पहचानों की कानूनी मान्यता में बदलावों द्वारा प्रस्तुत बाधाओं और अवसरों की रूपरेखा तैयार करते हैं। हमारा तर्क है कि पूरे दक्षिण एशिया में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मान्यता देने के बारे में राष्ट्रीय स्तर के कानूनी और न्यायिक विचार-विमर्श में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानूनों का उपयोग सीमित अवसर प्रदान करता है, और ज्यादातर औपचारिक नागरिकता तक पहुंच को सीमित करता है, यही उद्देश्य ये कानून हासिल करना चाहते हैं। इसके साथ ही, कानून की सीमाओं के साथ कुश्ती के इस क्षण ने, अलग-अलग राज्यों से पूर्ण मान्यता की मांग को जारी रखते हुए, एक जीवंत ट्रांसजेंडर अधिकार आंदोलन की सीमा पार लामबंदी को जन्म दिया है। इस तरह की लामबंदी से पता चलता है कि कैसे विविध ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता पूरे दक्षिण एशिया में गठबंधनयुक्त बहु-मुद्दा ट्रांस/न्याय आंदोलन बनाने के लिए मानवाधिकार सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या कर रहे हैं।

शर्मा एट अल., (2020) भारत में लगभग 700,000 ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं। कामुकता एक ऐसा मुद्दा है जिसने सामाजिक विभाजन पैदा किया है। हमारे समाज में यौन अल्पसंख्यकों पर उनके पथभ्रष्ट होने के आधार पर अत्याचार किया गया है। उनके अस्तित्व को अप्राकृतिक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसलिए, लिंग के अधिकारों, उनकी स्वास्थ्य समस्याओं और सरकारों से संबंधित मुद्दों को सरकारों और मानवाधिकार आंदोलनों के शीर्ष एजेंडे में जगह नहीं मिलती है। दुनिया भर में ट्रांस लोग पर्याप्त स्वास्थ्य असमानताओं और उचित स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में बाधाओं का अनुभव करते हैं जो उन्हें उच्चतम संभव स्वास्थ्य स्थिति प्राप्त करने से रोकते हैं। अन्य असमानताओं के बीच, सामान्य आबादी की तुलना में ट्रांस लोगों को हिंसा और उत्पीड़न के लिए लक्षित होने, एचआईवी से संक्रमित होने और अवसाद और आत्महत्या के प्रयास जैसी मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं के जोखिम में होने की काफी अधिक संभावना है। ट्रांस समुदायों द्वारा अनुभव की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल में बाधाओं में स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार, ट्रांस लोगों को उचित स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित प्रदाताओं की कमी, और कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों और स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों द्वारा ट्रांस लोगों के लिए सेवाओं को कवर करने से इनकार करना शामिल है। यह लेख भारत में ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य और उनके अधिकारों और भारत में उनकी वर्तमान स्थिति पर केंद्रित है।

प्रशांत, बी. कृष्णा, और महालक्ष्मी कृष्णन, (2020) भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दरअसल, कानून उनकी हकीकत से इनकार नहीं कर सकता. हम 21वीं सदी में रहते हैं जहां तीसरे लिंग यानी ट्रांसजेंडर को छोड़कर अन्य व्यक्तियों के लिए मानवाधिकारों की गारंटी और सुरक्षा की जाती है। तमाम पवित्र प्रावधानों के बावजूद, ट्रांसजेंडरों को उनके मौलिक अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है। दुनिया के अन्य हिस्सों के विपरीत, भारतीय समाज में हिजड़ों के प्रति रवैया सामान्यतः भेदभावपूर्ण और पक्षपाती है। उन्हें सामान्य, मौखिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक सहायता से भी इनकार कर दिया जाता है। भारत में किन्नरों के लिए चिकित्सा और दंत चिकित्सा सुविधाएं लगभग न के बराबर है। ऐसी कई संभावनाएँ हैं कि आबादी का यह उपेक्षित विशेष समूह भारी तनाव में हो और शराब, गुटखा-पान चबाने और अन्य हानिकारक आदतों में लिप्त हो। ये कारक कई मौखिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकते हैं जो उनके जीवन को बदतर बना सकते हैं। वर्तमान समीक्षा भारत जैसे विकासशील देश में ट्रांसजेंडर के सामने आने वाली समस्याओं का प्रबंधन करती है।

भट्टाचार्य, सायन. (2019) 2014 के एक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लिंग पुष्टिकरण सर्जरी की परवाह किए बिना प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपनी लिंग पहचान चुनने के अधिकार की पुष्टि की। इस फैसले के बाद, भारत भर के राज्य ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्डों का गठन कर रहे हैं और भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2018 को मंजूरी दे दी है, जिसे एक ऐसा कानून माना जाता है जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के भेदभाव से सुरक्षित रखेगा। यह कानूनी मान्यता मीडिया अभियानों की एक श्रृंखला से भी मेल खाती है, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को राष्ट्रवाद की आड़ में भारतीय नागरिकता के लिए अपना दावा पेश करते हुए दिखाया गया है, जो हमेशा पहले से ही बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्रवाद है। इस प्रकार, ये दोहरे घटनाक्रम यह सवाल उठाते हैं कि क्या हिंदू राष्ट्रवाद का प्रदर्शन करना भारतीय नागरिकता का दावा करने का एकमात्र तरीका है। भारत से हाल ही में क्वीर अध्ययन छात्रवृत्ति ने हमें क्वीर और ट्रांसजेंडर आंदोलनों के बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्रवाद में तब्दील होने के खतरे से आगाह किया है, जिससे गैर-नागरिकों से युक्त संवैधानिक बाहरी लोगों का निर्माण होगा जो इस तरह के राष्ट्रवाद का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। इस पेपर का तर्क है कि इस तरह के मेटा-कथा से भारत के ट्रांसजेंडर आंदोलनों के भीतर उभरने वाले प्रतिरोध और विरोध के सूक्ष्म-आख्यान के गायब होने का खतरा है जो नागरिकता अधिकारों की तलाश के लिए राष्ट्रवाद का प्रदर्शन करने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के किसी भी एकल कथा को बाधित करता है।

गोस्वामी, श्रीबास. (2018) ट्रांसजेंडर आजकल शिक्षा जगत में शोध के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। ये लोग अपने अधिकारों के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं और यह केवल भारत की विभिन्न अदालतों के फैसलों के माध्यम से आ रहा है, चाहे वह शीर्ष अदालत हो या निचली अदालतें। हम आम लोग फैसले के बावजूद अपने जीवन को असहनीय बना लेते हैं, उन्हें हम तुच्छ समझते हैं।

ट्रांसजेंडर शब्द को हम, तथाकथित सामाजिक और समझदार प्राणी द्वारा विभेदित किया गया है, हम ट्रांसजेंडर को पुरुष और महिला से अलग करते हैं और हमने तथाकथित "तीसरा लिंग" बनाया है। हालाँकि भारत तेजी से प्रगति कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, वह केवल अदालती फैसले के आधार पर तीसरे लिंग को स्वीकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह पेपर भारत में ट्रांसजेंडरों द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न समस्याग्रस्त मुद्दों पर चर्चा करने का एक प्रयास है।

दत्ता, अनिरुद्ध, और रैना रॉय (2014) यह निबंध लंबी बातचीत से उत्पन्न प्रतिबिंबों का एक सेट है जिसमें हमने कार्यकर्ता (रैना) और नृवंशविज्ञानी (अनिरुद्ध) के रूप में लिंग/यौन रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच और अलग-अलग हद तक काम करने के अपने संबंधित अनुभवों पर नोट्स की तुलना की है। पूर्वी भारत में. जैसा कि हम तर्क देंगे, विकास (गैर-सरकारी) क्षेत्र, राज्य और उनके फंडर्स द्वारा ट्रांसजेंडर को एक अंतरराष्ट्रीय "अम्ब्रेला शब्द" के रूप में सार्वभौमिक बनाने का प्रयास दक्षिण एशियाई प्रवचनों और लिंग/यौन भिन्नता की प्रथाओं को केवल "स्थानीय" अभिव्यक्तियों के रूप में समाहित करता है। ट्रांसजेंडर श्रेणी से जुड़े वैचारिक बोझ (जैसे होमो-ट्रांस और सीआईएस-ट्रांस बायनेरिज़) से पूछताछ किए बिना, ट्रांसजेंडर पहचान। भारतीय संदर्भ में, यह प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों के प्रवचन और व्यवहार के बीच पैमाने के पदानुक्रम के लंबे समय से चले आ रहे और जारी (उत्तर) औपनिवेशिक निर्माण को बढ़ावा देती है, जैसा कि मान्यता प्राप्त एलजीबीटीआईक्यू पहचान के आधिपत्य वाले एंग्लोफोन प्रवचन के बीच संबंध में प्रमाणित है। एक ओर राज्य और विकास क्षेत्र द्वारा, और दूसरी ओर लिंग/यौन भिन्नता के रूप जो अपेक्षाकृत क्षेत्रीय या स्थानीय के रूप में स्थित हैं।

III. ट्रांसजेंडर्स राइट्स यूनियन और किन्नर विकास कार्यक्रम की भूमिका

ट्रांसजेंडर्स राइट्स यूनियन और किन्नर विकास कार्यक्रम भारत में किन्नर समुदाय के संरक्षण, समर्थन, और विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संगठन और योजनाएं उन्हें सामाजिक, आर्थिक, और मानसिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करती हैं।

ट्रांसजेंडर्स राइट्स यूनियन: ट्रांसजेंडर्स राइट्स यूनियन एक संगठन है जो किन्नर समुदाय के अधिकारों की रक्षा और समर्थन के लिए काम करता है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है किन्नर समुदाय के सदस्यों के अधिकारों की सुनिश्चितता और समर्थन करना, जिसमें उनकी समाज में समानता, समर्थन, और समरसता को बढ़ावा देना शामिल है। इस संगठन के अंतर्गत, वे विभिन्न कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से समाज में जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाते हैं। इसके अलावा, यह संगठन नीतियों और कानूनों में सुधार के लिए भी लड़ता है, ताकि किन्नर समुदाय के सदस्यों को उनके मौलिक अधिकारों का लाभ मिल सके।

किन्नर विकास कार्यक्रम: किन्नर विकास कार्यक्रम भारत में किन्नर समुदाय के सदस्यों के लिए विशेष विकास के लिए अभियान चलाता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उनके सामाजिक, आर्थिक, और शैक्षिक सुधार करना है। ये कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, रोजगार के अवसर, और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्रों में उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा, ये कार्यक्रम उनके सामाजिक समरसता और समानता को बढ़ावा देने में भी सहायक होते हैं। वे समाज में जागरूकता बढ़ाते हैं और समुदाय के सदस्यों को सामाजिक आत्म-सम्मान और समर्थन का अवसर प्रदान करते हैं। ट्रांसजेंडर्स राइट्स यूनियन और किन्नर विकास कार्यक्रम भारत में किन्नर समुदाय के सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण संगठन और योजनाएं हैं जो उन्हें समाज में समानता और समर्थन की भावना से लाभान्वित करते हैं।

IV. शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सशक्तिकरण और जागरूकता कार्यक्रमों का उल्लेख

शिक्षा कार्यक्रम: शिक्षा का महत्व आज किन्नर समुदाय के सदस्यों के लिए भी बहुत अधिक हो चुका है। शिक्षा के माध्यम से उन्हें समाज में समानता के बारे में जानकारी होती है, जो उन्हें अपने अधिकारों को पहचानने और उन्हें प्राप्त करने में मदद करती है। शिक्षा के द्वारा, उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने का मौका मिलता है, जिससे उनका आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। भारत सरकार ने कई शिक्षा कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की हैं जो किन्नर समुदाय के सदस्यों को शिक्षित बनाने के लिए उन्हें समर्थन प्रदान करती हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, और सामाजिक शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें प्राथमिकता देते हैं।

रोजगार कार्यक्रम: रोजगार कार्यक्रम किन्नर समुदाय के सदस्यों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कार्यक्रम उन्हें उचित रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करते हैं और उन्हें स्वतंत्रता का अवसर देते हैं। इन कार्यक्रमों के द्वारा, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिसमें उन्हें नौकरी, व्यवसाय या स्वयं उत्पादित काम करने का मौका मिलता है।

सामाजिक सशक्तिकरण कार्यक्रम: सामाजिक सशक्तिकरण कार्यक्रम उन्हें समाज में अपनी आवाज़ उठाने और अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए सामाजिक और आर्थिक साधनों को प्रदान करते हैं। इन कार्यक्रमों के तहत, उन्हें अपनी पहचान और समानता की मांग करने का साहस मिलता है, और उन्हें समर्थन के लिए आवश्यक जानकारी और संसाधन प्रदान किए जाते हैं। सामाजिक सशक्तिकरण के कार्यक्रम समाज में जागरूकता, समर्थन, और एक समावेशी समाज की भावना को बढ़ावा देते हैं।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 7.583 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 11, Issue 3, May-June 2024 |

जागरूकता कार्यक्रम: जागरूकता कार्यक्रम का महत्व विशेष रूप से किन्नर समुदाय के अधिकारों की प्रोत्साहना और समर्थन करने में है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में जागरूकता बढ़ती है और लोगों को किन्नर समुदाय के अधिकारों, महत्व, और जीवन शैली के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये कार्यक्रम विभिन्न तरीकों से समाज में जागरूकता बढ़ाते हैं, जैसे कि गतिविधियों, संवादों, नाटकों, वेबिनारों, सेमिनारों, और सामुदायिक सभाओं के माध्यम से। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज में समानता और समरसता की भावना को बढ़ाना होता है, साथ ही सामाजिक अवसाद और अन्याय के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करना भी होता है।

V. समर्थन और समानता के लिए समाज में जागरूकता की आवश्यकता

समर्थन और समानता के लिए समाज में जागरूकता की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब समाज के लोग जागरूक होते हैं, तो वे समाज के विभिन्न समूहों के सदस्यों के साथ सहयोग करने के महत्व को समझते हैं। इससे विभिन्न समुदायों के लोगों को सहानुभूति और समर्थन मिलता है, जो समर्थन और समानता के माध्यम से एक संतुलित समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाज की जागरूकता से लोग अपने समुदाय के अधिकारों और महत्व को समझते हैं, जिससे समर्थन का बढ़ावा होता है और लोग एक-दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। इससे समाज में समर्थन की भावना और समर्थन के मूल्य प्रबल होते हैं, जो समानता और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। जागरूकता का अर्थ है समाज के सदस्यों को अपने समुदाय के अधिकारों, महत्व, और जरूरतों के बारे में जानकारी प्रदान करना। जब लोग जागरूक होते हैं, तो वे समाज में समानता की दिशा में आगे बढ़ते हैं और समर्थन के लिए एक-दूसरे का साथ देते हैं। इसके अलावा, जागरूकता से लोग अपने समुदाय के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम होते हैं, जो एक समर्थनपूर्ण और समान समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

संदर्भ

1. भट्टाचार्य, शमायेता, देबर्चना घोष, और बंदना पुरकायस्थ। "भारत का ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम: ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों तक वास्तविक पहुंच का विश्लेषण।" जर्नल ऑफ़ ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिस 14.2 (2022): 676-697
2. भट्टाचार्य, सायन। "ट्रांसजेंडर राष्ट्र और उसके हाशिए: कानून के कई जीवन।" साउथ एशिया मल्टीडिसिप्लिनरी एकेडमिक जर्नल 20 (2019)
3. शर्मा, रजनी, पूर्णेंदु मिश्रा, और रजनी शर्मा। "ट्रांसजेंडर: स्वास्थ्य और अधिकार।" यूरो जे फार्म मेड रेस 7 (2020): 570-579
4. सुनार, अभिषेक. "भारत में ट्रांसजेंडरों के अधिकार: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का संवैधानिक विश्लेषण (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019।" (2021)
5. दत्ता, अनिरुद्ध, और रैना रॉय। "भारत में ट्रांसजेंडर को उपनिवेशमुक्त करना: कुछ विचार।" ट्रांसजेंडर अध्ययन त्रैमासिक 1.3 (2014): 320-337
6. गोस्वामी, श्रीबास. "भारत में ट्रांसजेंडर: कानून द्वारा पहचाने जाने पर समाज द्वारा भेदभाव किया जाता है।" यूरोपीय शोधकर्ता. सीरीज ए 9-2 (2018): 107-112
7. छाछर, वरुण और निहारिका कुमार। "अर्जेंटीना में ट्रांसजेंडरों के अधिकार: भारत के संबंध में।" ग्लोकलिज़्म: जर्नल ऑफ़ कल्चर, पॉलिटिक्स एंड इनोवेशन (2024)
8. मिश्रा, निमिषा, और किरण डेनिस गार्डनर। छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष संदर्भ में भारत के ट्रांसजेंडर के कल्याण का अध्ययन। डिस. एलायंस यूनिवर्सिटी, 2023
9. प्रशांत, बी. कृष्णा, और महालक्ष्मी कृष्णन। "भारत में ट्रांसजेंडरों की अंतर्दृष्टि-एक समीक्षा।" इंडियन जर्नल ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी 14.4 (2020)
10. जैन, दीपिका और देबानुज दासगुप्ता। "कानून, लिंग पहचान और मानवाधिकारों का उपयोग: दक्षिण एशिया में मान्यता का विरोधाभास।" जर्नल ऑफ़ ह्यूमन राइट्स 20.1 (2021): 110-126

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |

www.ijarasem.com